

संख्या-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

152

आवंटनादेश

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक:- 25-2-19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है-

कार्यालय का नाम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
श्रमायुक्त का कार्यालय	20-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत	1998	संयुक्त श्रमायुक्त के गै.स.प्रे.सं.-65(श्रम पक्ष) दिनांक-15.02.19 के आलोक में ।
	0108.20.02 कांफ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार	13500	संयुक्त श्रमायुक्त के गै.स.प्रे.सं.-40(श्रम पक्ष) दिनांक-30.01.19 के आलोक में ।
		28665	संयुक्त श्रमायुक्त के गै.स.प्रे.सं.-75(श्रम पक्ष) दिनांक-21.02.19 के आलोक में ।
कुल राशि		44163	

कुल आवंटित राशि ₹ 44,163/- (₹ चौवालिस हजार एक सौ तिरसठ) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

152

पटना, दिनांक

25-2-19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25/2/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

152

पटना, दिनांक-

25-2-19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संयुक्त श्रमायुक्त एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-40, 65 एवं 75 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-30.01.19, 15.02.19 एवं 21.02.19 के आलोक में /लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगित प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

25/2/19

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।